[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना संख्या 61/2021-सीमाशुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2021

सा.का.नि. …….-.(अ) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 30, 30क, 41, 41क, 53, 54, 56, धारा 98 की उप-धारा (3) और धारा 158 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, सी कार्गो मैनिफेस्ट एंड ट्रांसशिपमेंट रेग्यूलेशन्स, 2018 में और आगे भी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियमन करता है, यथा: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और आरम्भ - (1) इन विनियमनों को सी कार्गो मेनीफेस्ट एंड ट्रांसशिपमेंट (पंचम अमेंडमेंट) रेग्यूलेशन्स, 2018 कहा जाएगा।

(2) यह सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. सी कार्गो मेनीफेस्ट एंड ट्रांसशिपमेंट रेग्यूलेशन्स, 2018 (एतत्पश्चात उक्त विनियमन से संदर्भित किया गया है) में, विनियमन 3 में,-

(क) उप-विनियमन (2) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियमन को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(2) जहां कि सीमाशुल्क के क्षेत्राधिकारी आयुक्त फॉर्म-I में आवेदक द्वारा प्रदान की गयी सूचना से स्वयं को संतुष्ट करके इन विनियमनों के तहत कारोबार में लेन-देन करने के लिए ऐसे आवेदक को पंजीकृत करेगा।”;

(ख)) उप-विनियमन (4) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियमन को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(4) विनियमन 3क या विनियमन 11 के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार जब तक कि पंजीकरण को रद्द न किया गया हो पंजीकरण वैध रहेगा:
बशर्ते कि अधिकृत कैरियर का पंजीकरण एक वर्ष की अवधि के लिए निष्क्रिय पाया जाता हो तो उसे वैध नहीं समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण - शब्द 'निष्क्रिय' का संदर्भ एक ऐसे अधिकृत कैरियर से लिया जाएगा, जिसने एक वर्ष की अवधि के दौरान सीमाशुल्क संबंधी कोई लेन-देन न किया हो, जिसमें वह अवधि शामिल नहीं होगी जिस दौरान विनियमन 11 के अंतर्गत उसका पंजीकरण निलंबित रहा हो।";

(ग) उप-विनियमन (5) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियमन को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(5) उप-विनियमन (4) के अंतर्गत उनके पंजीकरण को अवैध समझ लिए जाने के उपरांत उप-विनियमन (1क) के प्रावधानों के अंतर्गत, सीमाशुल्क के क्षेत्राधिकारी आयुक्त अधिकृत कैरियर द्वारा फॉर्म- Iक में आवेदन करने पर, स्वयं को यह समाधान होने के उपरांत कि आवेदक उप-विनियमन 1क के अंतर्गत पंजीकरण की मंजूरी के लिए अन्यथा पात्र है, आवेदन की प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर समाप्ति की तिथि से पंजीकरण का नवीनीकरण कर सकता है।"

3. उक्त विनियमन में, विनियमन 3 के पश्चात निम्नलिखित विनियमन को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"3क. पंजीकरण को वापस करना- (1) एक अधिकृत कैरियर विनियमन 3 के अतंर्गत जारी किए गए पंजीकरण को सीमाशुल्क के क्षेत्राधिकारी आयुक्त को लिखित अनुरोध करके पंजीकरण वापस कर सकता है।

(2) उप-विनियमन (1) के अंतर्गत लिखित अनुरोध की प्राप्ति पर सीमाशुल्क के क्षेत्रीय आयुक्त पंजीकरण को निरस्त कर सकते हैं यदि,–

(क) अधिकृत कैरियर ने अधिनियम, नियमों या विनियमों के तहत बनाए गए किसी भी प्रावधान के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार देय सभी शुल्कों का भुगतान कर दिया है; और

(ख) अधिकृत कैरियर के खिलाफ किसी भी अधिनियम, नियमों या विनियमों के तहत बनाए गए किसी भी प्रावधान के अंतर्गत कोई भी कार्यवाही लंबित नहीं है।";

4. उक्त विनियमन में, विनियमन 11 में, उप-विनियमन (2) के लिए निम्नलिखित उप-विनियमन को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(2) सीमाशुल्क का आयुक्त विनियमन 11 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए अपने क्षेत्राधिकार में आदेश जारी करके ऐसे किसी भी अधिकृत कैरियर के कार्यों को निम्नलिखित किसी भी आधार पर निरस्त कर सकता है, जिसका कारण भी लिखित में दर्ज किया जाएगा, यथा: —

(क) उसके क्षेत्राधिकार या अन्यत्र कहीं भी इन विनियमनों के किसी भी प्रावधान के अनुसरण में चूक;

(ख) इन विनियमनों के अंतर्गत उसके द्वारा निष्पादित बॉण्ड की किसी भी शर्त के अनुसरण में चूक;

(ग) उसके क्षेत्राधिकार में कोई भी दुर्व्यवहार जो कि सीमाशुल्क के आयुक्त के अनुसार सीमाशुल्क स्टेशन में किसी भी कारोबार संबंधी लेन-देन के लिए उचित न हो;

(घ) दिवालिया घोषित किया गया हो;

(ङ) विकृत-चित्तता;

(च) सक्षम न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध जिसमें नैतिक अधमता या अन्यथा शामिल हो के लिए दोषी ठहराना।"

5. उक्त विनियमन में, विनियमन 12 में, उप-विनियमन (5) के लिए निम्नलिखित उप-विनियमन को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(5) जांच के समापन पर, सीमा शुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, जैसा भी मामला हो, जांच की रिपोर्ट तैयार करेगा और उस पर अपने निष्कर्षों को दर्ज करने के बाद, उप-विनियम (1) के तहत नोटिस जारी करने की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।"

6. फॉर्म-I के पश्चात, निम्नलिखित फॉर्म को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"फॉर्म – I ए

[विनियमन 3(5) देखें]

अधिकृत कैरियर द्वारा पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन

सेवा में,

सीमाशुल्क के आयुक्त,
कस्टम्स हाउस

क्रम सं.	विवरण	टिप्पणी
1.	अधिकृत कैरियर का नाम पैन के विवरण सहित	
2.	अधिकृत कैरियर का पूरा पता	
3.	जारी करने वाला कस्टम्स हाउस	
4.	क्या आवेदक द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम, नियमों या विनियमों के अंतर्गत बनाए गए प्रावधानों के तहत केन्द्रीय सरकार को देय सभी शुल्कों का भुगतान किया गया है? (हां/नहीं)	
5.	क्या विनियमन 8 के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए बॉण्ड और रक्षा शुल्क अभी भी वैध है? (हां/नहीं)	
6.	यदि आवेदक एक फर्म या कंपनी है तो क्या ऐसे भागीदार/भागीदारों या निदेशक/निदेशकों जो कि	(हां/नहीं)

	वास्तविक रूप से अधिकृत कैरियर के कार्य में संलग्न हैं, के नाम और परमानेंट अकाउन्ट नम्बर्स (पैन) में कोई परिवर्तन है? (हां/नहीं) यदि हां, तो इसका ब्यौरा दें।	
7.	नवीनीकरण का कारण	
	उद्घोषणा:	
(क)	मुझे अंग्रेजी/स्थानीय भाषा(……)/हिन्दी की जानकारी है।	
(ख)	जिस फर्म या कंपनी ने अधोहस्ताक्षरी को नियुक्त किया है, उसने पहले सी कार्गो मैनिफेस्ट ट्रांसशिपमेंट रेग्यूलेशन, 2018 के तहत एक अधिकृत कैरियर पंजीकरण किया है और रद्द या निलंबित नहीं किया है।	
(ग)	आवेदक/आवेदक द्वारा नियोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित व्यक्ति के विरुद्ध सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के प्रावधानों के तहत दर्ज मामलों का विवरण	

मैं/हम एतदद्वारा यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने सी कार्गो मैनिफेस्ट ट्रांसशिपमेंट रेग्यूलेशन्स, 2018 पढ़ लिया है और इसका पालन करने के लिए सहमत हूं/हैं।

दिनांक : **आवेदक के हस्ताक्षर ".**

[फाइल संख्या 450/58/2015-सीमाशुल्क IV (पार्ट)]

(मनीष कुमार चौधरी)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोटः प्रधान विनियमन सं. सा.का.नि. 448(अ) दिनाँक 11 मई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II , खण्ड 3 उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 56/2021-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनाँक 30 जून, 2021, जिसे सा.का.नि. 457 (अ), दिनाँक 30 जून, 2021 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।